सं: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 21.09.2021

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा,** **बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051**	**बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,** **कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25,** **पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001**

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही

महोदया/महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, आज अर्थात 21 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की 35वीं एजीएम की कार्यवाही इसके साथ संलग्न है।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
सीजीएम एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

<u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</u>
<u>नई दिल्ली</u>

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे से दोपहर 1.50 बजे के दौरान आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार, 21 सितंबर, 2021 को दोपहर 12.30 बजे आयोजित की गई।

निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री आर.एस. ढिल्लों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और शेयरधारक
2. श्री विशाल कपूर, सरकारी नामिती निदेशक
3. श्री आर.सी. मिश्रा, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के अध्यक्ष (वीसी के माध्यम से)
4. श्री पी.के. सिंह, निदेशक (वाणिज्यिक) और निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार तथा शेयरधारक
5. श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, निदेशक (वित्त) और शेयरधारक

भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री प्रदीप कुमार मील, निदेशक, विद्युत मंत्रालय भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, श्री मनोहर बलवानी, कंपनी सचिव भी उपस्थित थे। गांधी मिनोचा एंड कंपनी, दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स और प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक तथा श्री अमित अग्रवाल, प्रोपराइटर, मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि भी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वीसी के माध्यम से 120 शेयरधारकों ने एजीएम में भाग लिया।

I. प्रारंभ में, कंपनी सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि और लेखापरीक्षकों सहित शेयरधारकों का स्वागत किया और शेयरधारकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशकों का परिचय दिया। उन्होंने आगे पुष्टि की कि बैठक के लिए अपेक्षित कोरम मौजूद है।

II. अध्यक्ष महोदय ने शेयरधारकों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ पीएफसी के वित्तीय कार्य-निष्पादन, सरकारी योजनाओं सहित अर्थव्यवस्था एवं विद्युत क्षेत्र के अवलोकन, निगमित अभिशासन पर पीएफसी के दृष्टिकोण और पीएफसी द्वारा की गई निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों पर प्रकाश डाला।

III. कंपनी सचिव ने बताया कि नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और निदेशक मंडल द्वारा उनकी रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण/टिप्पणियां सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई हैं और यह पीएफसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा अतः इसे पढ़ा गया के रूप में माना जाए।

IV. कंपनी सचिव ने बताया कि कंपनी की एजीएम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही थी और इसने सदस्यों को के-फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से आयोजित दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, सूचीकरण विनियमों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने कट ऑफ तारीख अर्थात 15 सितंबर, 2021 को 17 सितंबर, 2021 से 21 सितंबर, 2021 तक सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी। श्री अमित अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया था।

आगे यह भी बताया गया कि जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला था, उन्हें बैठक में दोबारा वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बैठक की सूचना में संदर्भित सांविधिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

V. अध्यक्ष ने कहा कि शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी द्वारा सभी संभव प्रयास किए गए हैं।

VI. इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से 35वीं एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय की मदों को प्रस्तावित संकल्पों के प्रयोजन और निहितार्थों के साथ पढ़ने का अनुरोध किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

मद संख्या	**विवरण**
साधारण व्यवसाय	
1.	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के लिए, निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।
3	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के

	लिए प्रस्ताव करते हैं।
4	सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना

VII. कंपनी सचिव ने आगे बताया कि एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा सक्रिय है और बैठक के समापन के 15 मिनट बाद तक सक्रिय रहेगी।

VIII. इसके बाद, जिन शेयरधारकों ने एजीएम के लिए 'स्पीकर' के रूप में खुद को पंजीकृत किया था, उन्हें बातचीत सत्र के लिए आमंत्रित किया गया था। स्पीकर शेयरधारकों ने कंपनी के परिचालन और भविष्य की कार्यनीति एवं व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रभाव के बारे में पूछताछ की। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा सभी प्रश्नों का विधिवत उत्तर दिया गया। शेयरधारकों ने भी कंपनी के कार्य-निष्पादन की सराहना की।

IX. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने बैठक समापन की घोषणा की।

****